प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 360/2023

अनवान : –

1. मघाराम पुत्र श्योजतराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. श्योदत राम पुत्र मानाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. रामकिशन पुत्र श्योदतराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. हरफुल पुत्र श्योदतराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. सन्दीप कुमार पुत्र हरफुल जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. भागवन्ती पुत्री हरफुल जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. रोशनी देवी पुत्री श्योदतराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

श्री मांगेराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक: 26.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा चक बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 548/468 की कुल 7.7990 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की वादी के दादा मानाराम पुत्र गंगाराम की नोतोड़ कर्ता भूमि है। वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 6 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया स0 5 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 3 व 4 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग एवं पारिवारिक बाहमी राजीनामा के अनुसार उक्त वाद भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के हिस्से में 0.795 हैक्ट, प्रतिवादी स0 6 के 1.265 हैक्ट, प्रतिवादी स0 3 व 4 के हिस्से में 1.925 हैक्ट बहिब, प्रतिवादी स0 2 का 1.925 हैक्ट, वादी 1.925 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा पाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:16 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में पुरानी व नयी जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 द्वारा आपसी राजीनामा/ईकबाल मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 6 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 548/468 की कुल 7.7990 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजों से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत सदस्य एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 ता 6 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 5 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी स0 3 व 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 6 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर [illegible] होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 548 / 468 की कुल 7.7990 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर उक्त भूमि में से 1.925 हैक्ट भूमि का वादी को, 0.7950 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को, 1.925 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को, 1.925 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 3 व 4 दोनो को बहिब के, 1.265 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 26/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बिरकाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 360 / 2023
अनवान : –

1. मघाराम पुत्र श्योजतराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. श्योदत राम पुत्र मानाराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. रामकिशन पुत्र श्योदतराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. हरफुल पुत्र श्योदतराम जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. सन्दीप कुमार पुत्र हरफुल जाति बांवरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. भागवन्ती पुत्री हरफुल जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. रोशनी देवी पुत्री श्योदतराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 360 सन 2023 निर्णय दिनांक 26.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 548 / 468 की कुल 7.7990 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के स्थान पर उक्त भूमि में से 1.925 हैक्ट भूमि का वादी को, 0.7950 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को, 1.925 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को, 1.925 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 3 व 4 दोनो को बहिब के, 1.265 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 26/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बिरकाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:31:16 IST
Reason: SelfAttested